

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला जिला बेमेतरा (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक / 510 / अविअ / 2024

बेरला दिनांक 16.11.2024

श्रीमती अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 तहसील बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग) में आपके द्वारा गिरदावरी का कार्य ग्राम कठिया में खसरा नं 900/1. ग्राम पेन्डी में खसरां न 610, 618, 619, 630/1, 630/3, 631/1, 634/1, 634/2, 635, 636/1, 636/2, 645, 648, 652/1, 654, 662, 687, 698/1. 688/2, 690/1, 690/2, 717, 719, 720, 739/3, 755, 761, 762, 763, 764, 770, 790, 793, 794, 799, ग्राम झलमला में खसरा न 306, 313/1, 315, 316, 320, 321, 322, 324, 327, 171/2 ग्राम रांका में खसरा नं 1015, 1018, 1019/2, 1019/3, 1027, 1074/3, 1175, 122, 123, 1283/1, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289/4, ग्राम कुरुद में खसरा न 14,15, में किया गया जिसमे सत्यापन के दौरान बडी संख्या में ऐसे खसरे प्राप्त हुए जहाँ धान का फसल नहीं लगा है। गिरदावरी जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में आपके द्वारा की उक्त कृत्य बडी लापरवाही को दर्शाता है, जोकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है।


उक्त संबंध इस कार्यालय के पत्र क्र/506/अ.वि.अ/बेरला दिनांक 12/11/2024 द्वारा कारण बताओ नाटिस जारी किया गया जिसके परिपालन में प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.11.2024 पेश किया गया जो कि संतोषप्रद नहीं है।

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 के द्वारा गिरदावरी जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बडी लापरवाही किये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय बेरला होगा। नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

श्री नवरतन साहू पटवारी तहसील भिभौरी को अपने कार्य के साथ-साथ हल्का नं 19,20,21 का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


अनुविभागीय अधिकारी(रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा(छ.ग)
बेरला दिनांक 16.11.2024

पृ.क्र./511 / अविअ / 2024

प्रतिलिपी:-

1. कलेक्टर महोदय (भू-अभिलेख शाखा) बेमेतरा को सादर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार बेरला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु ।
3. श्रीमती अश्विनी भास्कर पटवारी हल्का नं 20 तहसील बेरला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. श्री नवरतन साहू पटवारी तहसील भिभौरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


अनुविभागीय अधिकारी(रा)
बेरला, जिला-बेमेतरा(छ.ग)